अध्याय IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथायें

प्रस्तावना

एक सुदृढ़ आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समयबद्धता सुशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग यदि प्रभावी और कार्यात्मक हो, तो वे सरकार को रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

यह अध्याय वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 ब्याज वाली जमाओं/आरक्षित निधियों पर ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना

'ब्याज सहित जमाओं' एवं 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' की राशि पर ब्याज प्रदान करने और उसका भुगतान करने का दायित्व सरकार का है। 1 अप्रैल 2023 को, 'ब्याज सहित जमाओं' में ₹ 18,304.03 करोड़ एवं 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' में ₹ 4,667.86 करोड़ शेष थे, जिस पर सरकार ने क्रमशः ₹ 353.76 करोड़ एवं ₹ 336.66 करोड़ का ब्याज देने का प्रावधान किया था। यद्यपि, 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' पर ब्याज के संबंध में ₹ 7.94 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान किया गया था, जैसाकि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है। ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उसी अनुपात में कम दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: ब्याज सहित जमा राशियों/आरक्षित निधियों पर ब्याज दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	निधि/जमा	01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष	ब्याज भुगतान की गणना का आधार	ब्याज देय	भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान नहीं किया गया ब्याज
1.	मुख्य शीर्ष 8121-129 राज्य प्रतिपूरक वनारोपण निधि	1,347.12	3.35 प्रतिशत (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार 3.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई)	45.13	37.19	7.94
	कुल	**1,347.12**		**45.13**	**37.19**	**7.94**

स्रोत: वित्त लेखे

4.2 राज्य सरकार की बजट से इतर उधार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्य सरकारों को धन उधार लेने का अधिकार प्राप्त है । स्वायत्त निकायों और सरकारी कंपनियों/निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति राज्य सरकार देती है। ये उधार राज्य के लेखों में परिलक्षित नहीं होते हैं, अपितु ये स्वायत्त संस्थाओं के लेखों में परिलक्षित होते हैं। यद्यपि, जब ऐसे उधारों की पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आती है, तो ऐसे उधार राज्य सरकार की देनदारी बन जाते हैं और इसलिए इन उधारों को राज्य सरकार की "बजट से इतर उधार" कहा जाता है । ऐसी उधारियां राज्य सरकार के विधायी नियंत्रण से बाहर रहती हैं।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने लेखों में "बजट से इतर उधार" का कोई भी खुलासा नहीं किया है। यद्यपि, विभागों के अभिलेखों से 31 मार्च 2024 तक बजट से इतर उधार के कुछ मामलें लेखापरीक्षा के ध्यान में आये, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में बताया गया है।

(1) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सी.एम.बी.पी.एल.) आवास योजना के तहत आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से जिला परिषदों द्वारा प्राप्त किये गए ₹ 3,948.66 करोड़ के ऋण की प्रत्याभूति दी । राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्याभूति सीमा में से, जिला परिषदों ने वर्ष 2023-24 तक ₹ 3,624.48[1] करोड़ की कुल प्रत्याभूतियों का लाभ उठाया । यह पाया गया कि राज्य सरकार स्वयं इन ऋणों का मूलधन और ब्याज चुका रही है । इन ऋणों पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 31 जिला परिषदों को ₹ 336.07 करोड़ (₹ 235.85 करोड़ मूलधन और ₹ 100.22 करोड़ ब्याज के रूप में) हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, इस ऋण पर ₹ 1,040.73 करोड़ बकाया थे ।

(2) राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्युएसएससी) की स्थापना वर्ष 1979 में राजस्थान में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं की देखरेख करने के उद्देश्य से की गई थी । हालाँकि, राज्य सरकार ने अभी तक जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के कार्यों को निगम को हस्तांतरित नहीं किया है, जिसके कारण यह निगम अब तक सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान, आरडब्ल्यूएसएससी के संबंध में बजट से इतर उधार के निम्नलिखित प्रकरण भी देखे गए:

1. 2011-12: ₹ 945.37 करोड़, 2012-13: ₹ 840.19 करोड़, 2013-14: ₹ 958.51 करोड़, 2014-15: ₹ 600.64 करोड़, 2015-16: ₹ 160.52 करोड़, 2016-17: ₹ 61.34 करोड़, 2017-18: ₹ 6.34 करोड़, 2018-19: ₹ 1.16 करोड़, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 50.41 करोड़, 2021-22: 'शून्य', 2022-23: 'शून्य' एवं 2023-24: 'शून्य'

(i) राज्य सरकार ने जल आपूर्ति परियोजना के लिए एल.आई.सी. से लिए गए ऋण के लिए आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी. को ₹ 155.60 करोड़ की गारंटी प्रदान की। वर्ष 2023-24 के दौरान, पी.एच.ई.डी, राजस्थान सरकार ने एल.आई.सी. को ऋण (मूलधन और ब्याज) के पुनर्भुगतान के लिए आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी को ₹ 1.29 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹ 0.95 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 0.34 करोड़) हस्तांतरित किए। हालाँकि, ऋण का देय भार निगम द्वारा वहन किया जाना था। 31 मार्च 2024 तक, इस ऋण के विरुद्ध आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी. का बकाया ऋण ₹ 1.86 करोड़ था।

(ii) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी द्वारा हुडको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्राप्त ₹ 7,000 करोड़ के ऋण के लिए भी गारंटी प्रदान की। इस ऋण में से, निगम ने जल जीवन मिशन के राज्य हिस्से के रूप में ₹ 6,875 करोड़ (2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 841.43 करोड़, ₹ 2,671.91 करोड़ और ₹ 3,361.67 करोड़) मिशन के एसएनए खाते में हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2024 तक, आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी के लोक लेखे में इस ऋण राशि के मुकाबले ₹ 125 करोड़ शेष थे ।

यह देखा गया कि निगम ने इन ऋणों पर वर्ष 2022-23 (₹ 365.99 करोड़) और वर्ष 2023-24 (₹ 519.26 करोड़) के दौरान कुल वार्षिक ब्याज ₹ 885.25 करोड़ का भुगतान किया। यह पुनर्भुगतान जल उपयोगकर्ता शुल्क ₹ 884.42 करोड़ द्वारा किया गया था, जिसे पी.एच.ई.डी. द्वारा वर्ष 2022-23 (₹ 518.91 करोड़) और वर्ष 2023-24 (₹ 365.51 करोड़) के दौरान निगम के खाते में स्थानांतरित किये गए । यह इंगित करता है कि पी.एच.ई.डी. द्वारा एकत्र किए गए जल उपयोगकर्ता शुल्क को निगम के खाते में स्थानांतरित कर राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज का भुगतान कर रही है। यद्यपि, यह ऋण देनदारी राजस्थान सरकार के खातों में परिलक्षित न होकर आरडब्ल्यूएसएससी के खाते में परिलक्षित होती है, जिससे राज्य की कुल ऋण देनदारी कम करके आंकी गई है। यह राज्य सरकार की बजट से इतर उधारी है, क्योंकि जल जीवन मिशन में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंश आरडब्ल्यूएसएससी वहन कर रहा है, जबकि इसे राज्य सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार से ऋण जुटाने के लिए निगम का उपयोग केवल एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है।

जिला परिषदों द्वारा लिए गये ऋण के सम्बन्ध में वित्त विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2024) कि जिला परिषदों को अनुदान उनकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्रदान किया जा रहा है। आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा एल.आई.सी से लिए गये ऋण के सम्बन्ध में वित्त (बजट) विभाग द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2024) कि ऋण का पुनर्भुगतान निगम अपनी स्वयं की आय एवं अन्य

राजस्व प्राप्तियों से कर रहा है। यद्यपि, आरडब्ल्यूएसएससी ने अपने प्रत्युत्तर (अक्टूबर 2023) में सरकारी स्वीकृति आदेशों को मूलधन एवं ब्याज़ के स्रोत के रूप में स्पष्टतः दर्शाया है। इसके आगे, हुडको और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा लिए गये ₹ 7,000 करोड़ के ऋण के सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2024) कि आरडब्ल्यूएसएससी राज्य के जल जीवन मिशन के अंश की पूर्ति हेतु अपने स्तर पर धन की व्यवस्था कर रहा है I इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कई केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को स्वायत्त निकायों द्वारा लागु किया जा रहा है I विभाग ने बताया कि आरडब्ल्यूएसएससी स्वयं लिए गए ऋण के लिए उत्तरदायी है और इसकी अदायगी निगम की अपनी आय से की जा रही है I हालाँकि, निगम ने स्वीकार किया (नवम्बर 2024) कि एकत्रित यूजर चार्ज को राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार निगम के पी.डी खाते में जमा किया जा रहा है। वित्त विभाग के निर्देशों की अनुपालना में इस राशि का उपयोग निगम द्वारा जल जीवन मिशन के राज्य के अंश को पूरा करने के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान में किया जा रहा है।

इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के विरुद्ध जिला परिषदों और आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान अंततः राज्य सरकार के बजट से किया जा रहा था। यह राज्य सरकार की बजट से इतर उधार के अंतर्गत आता है ।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों[2] (आईए) को हस्तांतरित करती है। चूंकि धनराशि राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजी जाती है, अतः राज्य के वित्त लेखों में यह निधियाँ उस सीमा तक दर्शित नहीं होती हैं जो राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चर/पैरामीटर की भी संपूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2014 से निर्णय लिया कि सभी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) के तहत मिलने वाली सहायता को राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 27,843.69 करोड़ की केंद्रीय निधि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गयी। इसमें से, केंद्रीय सरकार ने ₹ 6,545.71 करोड़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए, ₹ 4,163.46 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए, ₹ 12,131.24 करोड़ स्वदेशी यूरिया भुगतान के लिये, ₹ 251.07 करोड़ जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए, ₹ 625.10 करोड़ आयुष्मान भारत-

2. राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थान हैं जो विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, ₹ 268.99 करोड़ सड़क शाखा के अंतर्गत कार्यों हेतु, ₹ 144.62 करोड़ अटल भूजल योजना हेतु हस्तांतरित की गयी।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है:

तालिका 4.2: 2019-24 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित की गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
निधियां	9,483.87	13,628.16	16,150.62	18,059.23	27,843.69

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्र सरकार से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण लगभग तीन गुना बढ़ गया।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि), 2012 का नियम 68(i) निर्दिष्ट करता है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्ति के भीतर जारी की जाती है तो उन शक्तियों को निर्दिष्ट करते हुए सीधे महालेखाकार को भेजी जाएंगी जिनके तहत उन्हें जारी किया गया है। आगे, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 284 एवं 286 निर्दिष्ट करते हैं कि विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए और सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हक़) को अग्रेषित किए जाने चाहिये। नियम 282(ii) और (iv) में यह भी प्रावधान है कि अनुदान को वित्तीय वर्ष से आगे भी एक वर्ष की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाएगा, लेकिन वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान का केवल उतना ही हिस्सा भुगतान किया जाएगा जितना वर्ष के दौरान व्यय होने की सम्भावना है। स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसका कोई भी अव्ययित शेष सरकार को विधिवत रूप से वापस कर दिया जाएगा। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान (सअ) को तीन कार्यकारी शीर्षों में विभाजित किया गया है (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92- सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (iii) 93-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 49,443.75 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 41,708.31 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन),

₹ 267.35 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 93 (पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान) तथा ₹ 7,468.09 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान (वेतन)[3] हेतु जारी किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2024 को विभिन्न विभागों ने अवधि वर्ष 2010-11 से 2022-23 के कुल ₹ 1,122.12 करोड़ के 996 उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा व हक़) कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये । कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, राशि ₹ 319.79 करोड़ के 432 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, 'पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान' से संबंधित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार बकाया निम्न **तालिका 4.3** एवं **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका 4.3: 31 मार्च, 2024 को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रो की संख्या	राशि
2022-23 तक	352	293.05
2023-24	644	829.07
योग	**996**	**1,122.12**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना

* ऊपर दर्शाया गया वर्ष 'देय वर्ष' से सम्बंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीनों के बाद

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2011-12	5	0.02
2012-13	4	0.04
2013-14	6	0.03
2014-15	7	0.04
2018-19	48	0.64
2019-20	10	1.71
2020-21	38	84.20
2021-22	15	4.61
2022-23	219	201.77
2023-24	644	829.06
कुल	**996**	**1,122.12**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना

* यहाँ वर्ष 'देय वर्ष' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीनों के बाद

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, बकाया यू.सी. की लगभग 96 प्रतिशत राशि 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' (401 यू.सीः ₹ 221.92 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (301 यू.सीः ₹ 145.99 करोड़), चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (80

3. सामान्य प्रयोजन अर्थात राज्य निधि या केंद्रीय सहायता (₹ 7,468.09 करोड़) के तहत योजनाओं के लिए वेतन, स्थापना और कार्यालय व्यय के लिए जारी अनुदानों के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 285(4) के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त, ₹ 0.37 करोड़ की राशि को लघु शीर्ष-191 (₹ 0.03 करोड़), लघु शीर्ष-192 (₹ 0.28 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.06 करोड़) के तहत वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए समान नियम के तहत यू.सी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

यू.सीः ₹ 199.53 करोड़), परिवार कल्याण (24 यू.सीः ₹ 464.39 करोड़), और नगरीय विकास (11 यू.सीः ₹ 45.83 करोड़) से संबंधित है।

30 नवम्बर, 2024 को, इन 996 यू.सी. में से 71 यू.सी. बकाया थे। 30 नवम्बर, 2024 तक बकाया 71 यू.सी. का विभाग-वार विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.5** में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.5: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभाग-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग/शीर्ष का नाम	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	0.07
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग)	56	0.48
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	13	49.27
सामान्य शिक्षा	1	17.91
योग	**71**	**67.73**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना

संबंधित विभागों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने के कारण पूछे गए, तथापि, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर, 2024) कि सम्बंधित यू.सी. के शीघ्र निपटान के लिए सम्बंधित विभागों को निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर, 2024) कि विभाग द्वारा योजना क्रियान्वयन एजेंसी से यूसी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किये जा रहे हैं।

निर्धारित अवधि से अधिक समय तक यू.सी. का बकाया रहना न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करता है, अपितु यह भी दर्शाता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान की समय पर और निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गए यू.सी. की प्रमाणिकता की जांच में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा कृषि योजनाओं से सम्बंधित एक गलत यू.सी. प्रस्तुत करने का मामला पाया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 86.88 करोड़[4] की प्राप्त सहायतार्थ अनुदान की यू.सी. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत की गई। यद्यपि, इसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मात्र ₹ 55.80 करोड़ का व्यय किया गया और शेष राशि अप्रयुक्त रही एवं विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत यू.सी. के आधार पर अगले वर्ष के लिए सहायतार्थ अनुदान जारी कर दी।

[4] शीर्ष 2415-01-277-01-63-93 के अंतर्गत

यह इंगित करता है कि निधियों के वास्तविक उपयोग के बिना यू.सी. प्रदान की जा रही थी, जिससे यू.सी. की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। चूँकि, यह अवलोकन यू.सी. के एक नमूना जांच पर आधारित है, अतः इस प्रकार की ऐसी घटनाओं की व्यापकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्ण व्यय के बिना यू.सी. जारी करने के मामले में उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अनुदानग्राही संस्था के सम्बन्ध में सूचना का अभाव

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम (संशोधन) 2020 के विनियम 88 के अनुसार सरकार और विभागाध्यक्ष जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, वे ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान और/या ऋण दिया गया था, के सम्बन्ध में (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को दर्शाते हुए विवरण प्रति वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2023-24 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 17.95 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, ₹ 48,328.54 करोड़ के कुल सहायतार्थ अनुदान में से, ₹ 20,150.18 करोड़ (41.69 प्रतिशत) की राशि का संवितरण 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को किया गया, जहां 'अन्य' का अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों से है, जैसाकि नीचे **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: संस्थानों को वितीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	**कुल अनुदान**	**41,024.82**	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**	**48,328.54**
2.	अन्य	10,222.30	12,431.88	14,537.75	16,553.25	20,150.18
3.	**कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत**	**24.92**	**31.28**	**29.59**	**33.48**	**41.69**
4.	**राज्य का कुल व्यय**	**1,93,458**	**1,94,071**	**2,34,563**	**2,46,452**	**2,69,275**
5.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	21.21	20.48	20.94	20.06	17.95

स्रोतः वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान का 24.92 प्रतिशत से 41.69 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार, 'अन्य' श्रेणी के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते है, जो लेखों की पारदर्शिता और सहायतार्थ अनुदानों के उपयोग के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितताएं

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 219 के अन्तर्गत, नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल तैयार करने के लिए अधिकृत हैं, और उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करने होते हैं। नियम 220 (1), एसी बिलों के माध्यम से धनराशि के आहरण से तीन महीने[5] की अवधि के भीतर डी.सी. बिल प्रस्तुत करने को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2024 तक, ₹ 81.29 करोड़ की राशि के 197 ए.सी. बिलों (31 दिसम्बर, 2023 तक आहरित) के संबंध में डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किये थे। लम्बित डी.सी. बिलों का वर्ष-वार विवरण और उनका अवधि-वार विश्लेषण नीचे **तालिका 4.7** और **तालिका 4.8** में दिया गया है:

तालिका 4.7: ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		अन्तिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2021-22 तक	117	31.37	505	58.50	533	56.68	89	33.19
2022-23	89	33.19	526	78.28	530	90.47	85	21.00
2023-24	85	21.00	876	218.57	764	158.28	197	81.29

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका 4.8: बकाया डी.सी. बिलों की अवधि-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

लम्बन अवधि	बकाया डी.सी. बिलों की संख्या	राशि
15 वर्षों से अधिक	1	-*
10 वर्ष से 15 वर्ष	1	1.04
5 वर्ष से 10 वर्ष	1	0.02
एक वर्ष से 5 वर्ष	11	63.29
शून्य से एक वर्ष	183	16.94
योग	**197**	**81.29**

स्रोतः वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा एकत्रित सूचना

* मात्र ₹ 30,000

5. विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद के मामले को छोड़कर, सास्त्र पत्र जारी कर, ए.सी. बिलों के माध्यम से धन के आहरण के छह महीने के भीतर, डी.सी. बिल सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ए.सी. बिलों के समक्ष बकाया राशि के साथ लंबित डी.सी. बिलों का मुख्य शीर्ष-वार विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में विस्तृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, आगे की संवीक्षा में निम्नलिखित बातें भी ध्यान में आईः

(i) डी.सी. बिल प्रस्तुत न करना

जैसाकि ऊपर तालिका में दिया गया है, मार्च 2023 तक आहरित किए गए 14 ए.सी. बिल एक वर्ष से अधिक अवधि के अंतराल के बावजूद असमायोजित रहे। इन 14 ए.सी. बिलों का विवरण नीचे **तालिका 4.9** में दिया गया हैः

तालिका 4.9: डी.सी. बिल प्रस्तुत न करना

(₹ लाख में)

क्र. स.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिल संख्या व दिनांक	राशि	विभाग के द्वारा विलम्ब के उपलब्ध कराये गये कारण/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	सहायक निदेशक, डाइट, जालोर	2202	1990-91	0.30	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर, 2024) कि समायोजन के लिए प्रपत्र कोषालय जालोर को प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
2.	आयुक्त, आपदा प्रबंधन एवं राहत, जयपुर	2245	813/19.03.2013	103.50	रोकड़िया से ₹14.80 लाख की वसूली लम्बित रहने के कारण डी.सी बिल जमा कराने का कार्य लंबित है।
3.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051	299/06.10.2016	2.00	यह बैंक में पुराने नोट जमा करने में चूक के कारण हुआ। विभाग ने सूचित किया है कि ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
4.	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204	158/28.12.2021	4.30	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
5.	राजस्व मंडल, अजमेर	2029	842/24.01.2022	50.00	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
6.	निदेशक, एन.सी.सी. 3, अलवर	2204	41657121/23.09.2022	2.17	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
7.	विभागाध्यक्ष एवं डी.डी.ओ., एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	4210	45205307/29.3.2023 45204612/29.3.2023	1,500.00	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
8.	प्राचार्य, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4210	44966688/23.3.2023 45168506/28.3.2023 45169128/28.3.2023 45168922/28.3.2023 44810866/14.3.2023 44810816/14.3.2023	2,500.00 1,008.06 665.51 100.54 59.35 439.16	क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के लिए उपकरण खरीदे गए हैं और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उन्हें स्थापित किया जाएगा।

जैसाकि तालिका से स्पष्ट है, ₹ 1.06 करोड़ (क्रम सं 1, 2 एवं 3) की राशि के तीन बिल पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

पिछले वर्षों के डी.सी. बिलों के लंबित रहने की स्थिति से पता चलता है कि पुराने ए.सी. बिलों के निपटान में सुधार हुआ है। हालांकि, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश लंबित बिल पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बाद अभी भी लंबित हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में उचित सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

ए.सी. बिलों के माध्यम से निकाले गए धन को राज्य के समेकित कोष में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। जब तक डी.सी. बिलों के माध्यम से खातों का निपटान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ जाता है। इसके अलावा, डी.सी. बिलों का जमा न होना विभागों के साथ-साथ कोषागारों की ओर से अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है। राज्य सरकार को ए.सी. बिलों के माध्यम से निकाले गए धन के अनुश्रवण करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र स्थापित करने और उनके विरुद्ध डी.सी. बिलों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ।

(ii) विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब

सावि एवं लेनि, 2012 के नियम 8(2) अभिनिर्धारित करता है कि निधियों को केवल तभी आहरित किया जाए जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो और व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हो।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलम्ब देखा गया। विवरण नीचे दी गई **तालिका 4.10** में दिए गए हैं:

तालिका 4.10: डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में देरी की अवधि

(₹ लाख में)

क्र. स.	कार्यालय का नाम	विलम्ब से प्रस्तुत डी. सी. बिलों की संख्या (ए.सी. बिल क्रमांक सहित)	विलम्ब अवधि (महीनों में)
1.	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	1 (183)	187
2.	सचिव, खेल एवं युवा विभाग	2 (41423919, 41633043)	6 से 9
3.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	35 (40309521, 41310259, 41310319, 42181849, 42367191, 42366287, 42367042, 42366217, 44935181, 45201304, 46483946, 46483129, 45201325, 46529868, 46965587, 46966695, 46966711, 46900238, 46789978, 46789969, 46900269, 46899592, 46899717, 47797677, 47797691, 47223507, 47223490, 47273766, 47273794, 46780354, 46780982, 47067836, 47797725, 47594146, 47594876)	6 से 12
	योग	**38**	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में 6 महीने से लेकर 187 महीने तक का विलम्ब हुआ।

निदेशक, कोषागार एवं लेखा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि अगस्त 2024 तक, लंबित 197 ए.सी. बिलों के विरुद्ध 188 डी.सी. बिलों को समायोजित कर दिया गया है तथा विभिन्न विभागों से डी.सी. बिल जमा करने में देरी के कारणों की सूचना प्रतीक्षित हैं।

इसके अलावा, 25 प्रकरणों में यह पाया गया कि डी.सी. बिल प्रस्तुत करते समय ए.सी. बिल राशि चालान के माध्यम से वापस जमा करा दी गई थी । विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। सम्पूर्ण राशि चालान के माध्यम से जमा कराना यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकताओं के उचित आंकलन के बिना ए.सी. बिलों के माध्यम से राशि का आहरण किया गया था।

ए.सी. बिलों के माध्यम से धनराशि के अनियमित प्रतिधारण ने विभागों को बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने और संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि खर्च करने की बजटीय बाध्यता को दरकिनार करने में सक्षम बनाया। पहले से आहरित किये गए ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिलों की लंबितता के नियमित अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। पर्याप्त अवधि समाप्त होने के बाद भी ए.सी बिलों को समायोजित नहीं किया जाना विभागों के साथ-साथ कोषालयों की ओर से अनुश्रवण में कमी को इंगित करता है।

ए.सी./डी.सी. बिलों की सत्यता की जांच करने के लिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर से संबंधित डीसी बिलों की जांच की गई। यह पाया गया कि न्यूरोलॉजी विभाग में डी.एस.ए. मशीन की स्थापना के लिए ₹ 8.34 करोड़ की राशि के तीन ए.सी. बिल आहरित किये गए थे। मशीन के भुगतान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पांच सावधि जमा (एफ.डी.) बनायी गई थीं और इन एफ.डी. से ब्याज के रूप में ₹ 45.26 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2024) कि मशीन की स्थापना के विरुद्ध फर्म को ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। भुगतान तिथि पर रुपए और डॉलर के विनिमय दर में अंतर के कारण ₹ 20.23 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था और इसकी पूर्ति एफ.डी. पर अर्जित ₹ 45.26 लाख के ब्याज से की गई थी। यद्यपि, काम पूरा होने पर शेष राशि को डीसी बिल के साथ चालान के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करना था, लेकिन ₹ 25.03 लाख रुपए की शेष राशि अभी भी एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के पास पड़ी हुई है, यद्यपि डी.सी बिल जनवरी 2023 में प्रस्तुत किया गया था।

काम पूरा होने के बाद शेष राशि का अनियमित रूप से रोके रखना यह दर्शाता है कि सावि एवं लेनि के नियम 8(2) और नियम 220 का पालन नहीं किया गया ।

4.6 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पी.डी.) खाता संबंधित कोषालय में लोक लेखा के जमा शीर्ष के अंतर्गत खोला जाता है। इस तरह के खातों को कोषालय में बैंक खाते की तरह संधारित किया जाता है।

राजस्थान सरकार का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) का नियम 260(1) प्रावधित करता है कि सरकारी लेखों में जमा के लिए कोई धन तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर सरकार की अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई थी।

1. निजी निक्षेप खातों की स्थिति

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन पीडी खातों में पड़ी हुई निधियों की स्थिति **तालिका 4.11** में दी गई है:

तालिका 4.11: वर्ष 2019-24 के दौरान निजी निक्षेप खातों में रखी गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में पी.डी. खातों की संख्या			अन्तिम शेष
	सक्रिय	निष्क्रिय	योग	
2019-20	1,845	55	1,900	16,289.07
2020-21	1,895	33	1,928	14,382.95
2021-22	2,001	52	2,053	18,220.62
2022-23	2,067	133	2,200	14,114.10
2023-24	2,336	115	2.451	13,762.90

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019-20 में 1,900 पी.डी. खातों में अंतिम शेष ₹ 16,289.07 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में 2,451 पीडी खातों में ₹ 13,762.90 करोड़ रह गया । वर्ष 2023-24 को राज्य सरकार के पी.डी. खातों की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 4.12** में दी गई है:

तालिका 4.12: वर्ष 2023-24 के दौरान निजी निक्षेप खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निजी निक्षेप खातों का शेष (2023-24)	राशि
1.	**आरम्भिक शेष (1 अप्रैल 2023)**	**14,114.10**
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	40,311.63
	(i) समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि	22,865.05
	(ii) पी डी खातों में सीधे जमा कराई गयी निधियाँ	17,446.58
3.	वर्ष के दौरान आहरण	40,662.83
4.	**31 मार्च 2024 को अंतिम शेष**	**13,762.90**
	मार्च 2024 के दौरान निजी निक्षेप खातों में लेनदेन	
5.	माह के दौरान पीडी खातों में हस्तांतरित/जमा की गई राशि	6,928.28
	(i) समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि	2,514.17
	(ii) पी डी खातों में सीधे जमा कराई गयी राशि	4,414.11
6.	माह के दौरान आहरण	**8,199.24**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-निजी निक्षेप जमा के अंतर्गत ₹ 40,311.63 करोड़ की राशि पी.डी. खातों में हस्तांतरित/जमा की गई, जो राज्य के कुल व्यय (₹ 2,69,275 करोड़) का 14.97 प्रतिशत है। इस राशि में स्वायत्त निकायों को संबंधित कोषागार में उनके नाम से खोले गए पी.डी. खातों में सहायतार्थ अनुदान के रूप में हस्तांतरित ₹ 22,865.05 करोड़ रुपए और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व, स्वायत्त संस्थाओं की अपनी आय आदि जैसे पी.डी. खातों में सीधे जमा ₹ 17,446.58 करोड़ रुपए शामिल हैं।

पी.डी. खातों और उनके शेषों का अवधि-वार विवरण नीचे **तालिका 4.13** में दिया गया है:

तालिका 4.13: 31 मार्च 2024 को निजी निक्षेप खातों का अवधि-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि वर्ग	पी.डी. खातों की संख्या	31 मार्च 2024 को राशि
शून्य से एक वर्ष	309	534.96
एक से तीन वर्ष	326	726.78
तीन से पांच वर्ष	107	285.00
पांच से दस वर्ष	491	2,302.86
10 वर्ष से अधिक	1,036	7,595.44
विवरण उपलब्ध नहीं	182	2,317.86
कुल	**2,451**	**13,762.90**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

पी.डी. खातों की शेष राशि के विश्लेषण से पता चलता है कि:

(i) ₹ 22,865.05 करोड़ में से ₹ 2,514.17 करोड़ (10.99 प्रतिशत) की राशि मार्च 2024 में पीडी खातों में हस्तांतरित की गई थी। राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुसार, बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों के आहरण कर ऐसे धन को लोक लेखे या बैंक में जमा करना निषिद्ध है। इसलिए, मार्च माह के दौरान पीडी खातों में वृहत्त राशि का हस्तांतरण एसबीएम के प्रावधान का उल्लंघन है।

(ii) 2,451 पीडी खातों में ₹ 13,762.90 करोड़ की अव्ययित शेष राशि में 24 पीडी खाते (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि) सम्मलित हैं, जिनमें ₹ 8,598.34 करोड़ अर्थात् कुल अव्ययित (₹ 13,762.90 करोड़) शेष राशि का 62.47 प्रतिशत पड़ा हुआ है जैसाकि ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

(iii) राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा रखे गए पी.डी. खातों की जांच से पता चला कि वर्ष 2023-24 के दौरान 74 खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ और इन खातों में "शून्य" आरंभिक एवं अंतिम शेष था, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है।

2. पी.डी. खातों में प्रतिकूल शेष

पी.डी. खातों की शेष राशि की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 10 पी.डी. खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे **तालिका 4.14** में दिया गया है:

तालिका 4.14: पी.डी. खातो में प्रतिकूल शेष

क्र. सं.	पी.डी. खाता संख्या एवं नाम	कोषागार का नाम	राशि (₹ में)
1.	3061-अतिरिक्त.डी.ई.ओ. सह बी.ई.ई.ओ.	13-दौसा	(-) 33,32,909
2.	5967-राजकीय महाविद्यालय,अनूपगढ़	16-गंगानगर	(-) 15,000
3.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	20-जयपुर ग्रामीण	(-) 29,411
4.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	29-कोटा	(-) 2,49,378
5.	2598- अधिशासी अभियंता पी.एच.ई.डी. डीडवाना	30-नागौर	(-) 4,48,522
6.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	30-नागौर	(-) 44,571
7.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	31-पाली	(-) 56,662
8.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	34-सवाईमाधोपुर	(-) 7,620
9.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	37-टोंक	(-) 2,27,259
10.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	38-उदयपुर शहर	(-) 5,48,931

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

पी.डी. खातों में ऋणात्मक शेष निधि में उपलब्ध शेष राशि से अधिक भुगतान का संकेत देता है जो कोषालय के स्तर पर पर्याप्त सामंजस्य की कमी को दर्शाता है। वित्त (कोषालय एवं लेखा) विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2024) कि चार पी.डी खातों का मिलान कर लिया गया और अब उनमें धनात्मक शेष दर्शाया जा रहा है।

पी.डी. खाते में ऋणात्मक शेष के संबंध में जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2021-22 में 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में की गई सिफारिशों के अनुपालना में, विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि सभी पी.डी. खातों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा चुका है, जिससे पी.डी. खातों में शेष राशि से अधिक धनराशि का आहरण संभव नहीं होगा। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी प्रणाली के अस्तित्व के उपरांत भी उक्त पी.डी. खातों में ऋणात्मक शेष कैसे बना हुआ हैं।

3. निष्क्रिय पी.डी. खाते

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 98 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषालय अधिकारी संचालित पी.डी. खातों की समीक्षा करेगा तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय पड़े खातों की सूची वित्त विभाग (मार्गोपाय) को भेजने के लिए तैयार करेगा। जन लेखा समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में निष्क्रिय पी.डी. खातों के संबंध में राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के प्रावधानों का पालन करने और भविष्य में निष्क्रिय खातों को समय पर बंद करना सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

विभिन्न विभागों के पी.डी. खातों की समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2024 तक कुल 115 पी.डी. खाते, जिनमें ₹ 54.48 करोड़ की राशि पड़ी थी, पिछले दो वर्षों (2022-24) से निष्क्रिय थे, जिनमें से 46 निष्क्रिय पी.डी. खातों में पिछले दो वर्षों से शून्य शेष था । इन पी.डी. खातों का विवरण ***परिशिष्ट 4.6*** में उल्लेखित है।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2024) कि 115 निष्क्रिय पीडी खातों में से 112 खाते बंद कर दिए गए हैं और तीन खाते वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार की मंजूरी के साथ पुनः संचालित किये गए हैं।

4. जिला खनिज फाउंडेशन निधि

राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी) की स्थापना (जून 2016) की है। राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (आर.डी.एम.एफ.टी) नियम, 2016 का उद्देश्य जिले में खनन सम्बंधित संचालन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रो के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना है।

प्रारंभ में, ट्रस्ट के लिए अंशदान पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित दर पर सम्बंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता कार्यालय में या सीधे केंद्रीयकृत चालू बैंक खाते में जमा किया जाना था। वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने डी.एम.एफ.टी के नाम से सभी जिलों में ब्याज रहित पी.डी खाते खोलने के निर्देश (अप्रैल, 2017) जारी किए। इसके बाद, जून 2018 में नियमों में संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि डी.एम.एफ.टी निधि को ब्याज़ वाले खातों में रखा जाएगा। बाद में सभी जिलों में ब्याज वाले पी.डी. खाते (दिसम्बर, 2020) खोले गए।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि डी.एम.एफ.टी में किया गया अंशदान अब भी ब्याज वाले एवं बिना ब्याज वाले दोनों पी.डी. खातों में जमा किया जा रहा था। 31 मार्च 2024 तक, 37 पी.डी खातों में से बिना ब्याज वाले पी.डी. खातों का शेष ₹ 659.59 करोड़ था।

यह दर्शाता है कि डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत जमा किये गये अंशदान को सीधे ब्याज वाले पी.डी. खाते में जमा नही किया जा रहा है और बिना ब्याज वाले पी.डी. खातें अभी भी संचालित है जो कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप डी.एम.एफ.टी. निधि को ब्याज की हानि हुई।

5. स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 में प्रावधान है कि जिला परिषद (जिप), पंचायत समिति (पंस) और ग्राम पंचायत (ग्रापं) क्रमशः जिप निधि, पंस निधि और ग्रापं निधि[6] संधारित

6. मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत-स्थानीय निधियों की जमाएं, 109-पंचायत निकाय निधियां

करेंगे। इन निधियों में, इस अधिनियम के तहत वसूल किये गये अथवा वसूली योग्य सभी धनराशियाँ सम्मिलित होगी और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशियाँ, यथा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पारितोषिक के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और पंचायत की स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल है। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 में परिकल्पित है कि नगरपालिका को नगरपालिका निधि संधारित करनी होगी । इस अधिनियम के तहत वसूल अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि और नगर-पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि को नगरपालिका निधि[7] में रखा जाना है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निधि के स्थानीय निधि की पिछले पांच वर्षों की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 4.15** में दी गई है:

तालिका 4.15: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निधि का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	अंतिम शेष
1	जिला परिषद निधि (8448-109-03)	2019-20	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07
		2020-21	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48
		2021-22	1,490.48	2,327.99	1,951.25	1,867.22
		2022-23	1,867.22	1,883.18	1,986.55	1,763.85
		2023-24	1,763.85	1,737.65	2,097.72	1,403.78
2	पंचायत समिति निधि (8448-109-02)	2019-20	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55
		2020-21	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21
		2021-22	1,424.21	2,640.36	2,210.78	1,853.79
		2022-23	1,853.79	2,452.66	2,160.83	2,145.62
		2023-24	2,145.62	2,144.37	2,742.86	1,547.13
3	नगरपलिका निधि (8448-102)	2019-20	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73
		2020-21	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
		2021-22	2,419.91	4,662.10	4,492.33	2,589.68
		2022-23	2,589.68	5,712.06	6,315.85	1,985.89
		2023-24	1,985.89	6,818.12	7,513.45	1,290.56

स्रोतः वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-24 के दौरान, जिप निधि, पंस निधि और नपा निधि में बड़ी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान इन निधियों में क्रमशः ₹ 1,403.78 करोड़, ₹ 1,547.13 करोड़ और ₹ 1,290.56 करोड़ का अंतिम शेष था।

7. मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत-स्थानीय निधियों की जमाएं, 102-नगरपालिका निधियाँ

ग्राम पंचायतें अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में खाते रखती हैं। ग्राम पंचायतों के इन खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि की स्थिति का रखरखाव पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर ठीक से नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों के संकलन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि जिला परिषदों ने इन निधियों में शेष पड़े रहने के विभिन्न कारण बताये है जैसे- एम.एल.ए एल.ए.डी निधियों का उपयोग न करना, समय पर स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करना ।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम की निधियों के समय पर उपयोग, बंद योजनाओं के अप्रयुक्त शेषों को राजस्व मद में जमा करने और ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रखे गये शेषों के अनुश्रवण के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का संचालन

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद ए-10 प्रावधित करता है कि "यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि व्यय को उचित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए और जहां तक संभव हो 'अन्य व्यय' की श्रेणी में वर्गीकरण से बचा जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 57 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 14,260.44 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 5.30 प्रतिशत (₹ 2,68,876.60 करोड़) था, को लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के तहत लेखों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 में ₹ 10,515.26 करोड़ को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,138.35 करोड़ जमा हुए जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.50 प्रतिशत (₹ 2,03,276.28 करोड़) था, को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत लेखों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 में, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत ₹12,013.42 करोड़ की राशि पुस्तांकित की गयी थी।

राज्य सरकार ने वर्ष 2019-24 की अवधि में इस लघु शीर्ष का बड़े पैमाने पर संचालन किया। ऐसे मामले जहां व्यय और प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकृत किया गया था, ***परिशिष्ट 4.7*** में दर्शाया गया है। वर्ष 2019-24 के दौरान सम्बन्धित शीर्षों के कुल व्यय एवं प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियों के संचालन की सीमा भी क्रमशः **चार्ट 4.2** एवं **चार्ट 4.3** में दी गई है।

चार्ट 4.2: वर्ष 2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन

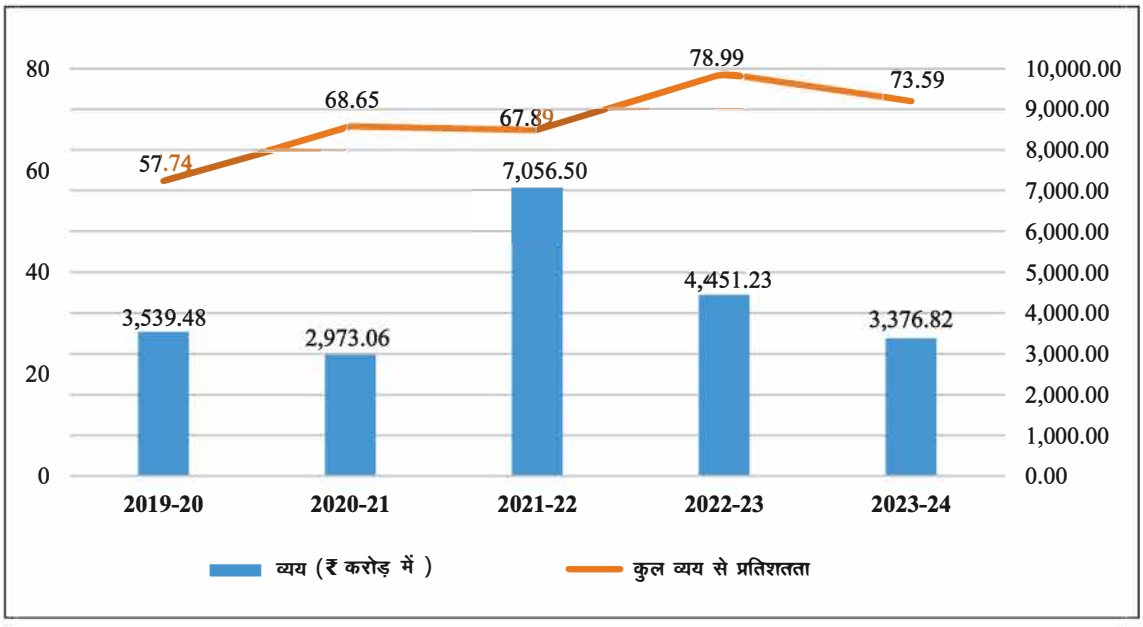

चार्ट 4.3: वर्ष 2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन

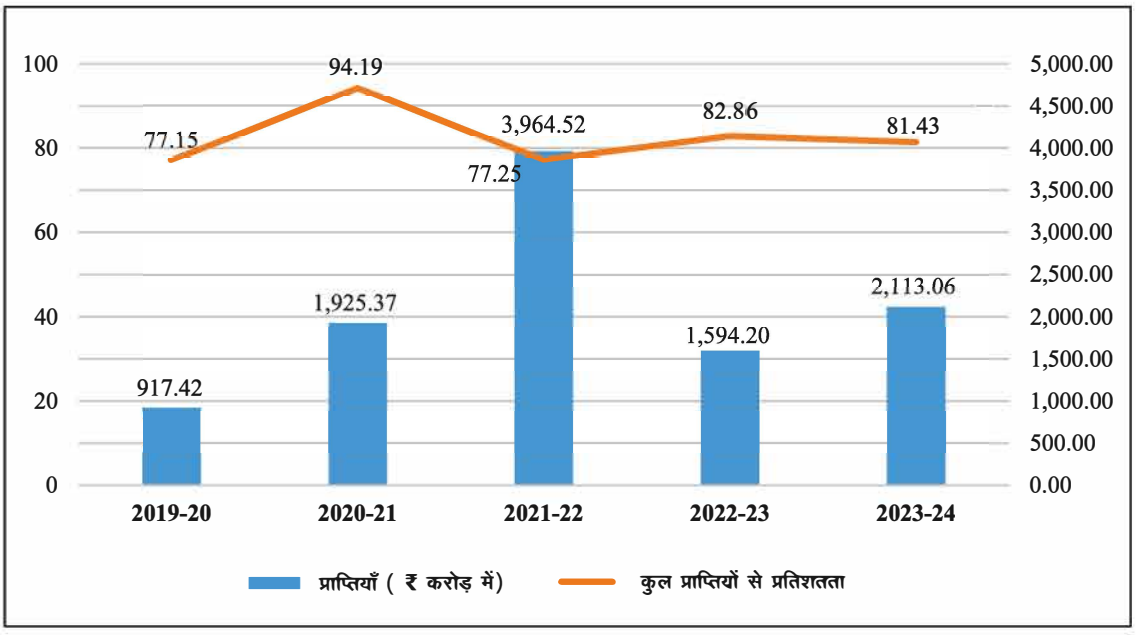

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों दोनों ही मामलों में प्रतिशतता वृद्धि हुई थी।

बहुगर्भित लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे लेखांकन प्रणाली अपारदर्शी हो जाती है।

इस संबंध में, वित्त विभाग ने सभी डी.डी.ओ./सी.सी.ओ. को बिना आवश्यकता के लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत प्रावधान नहीं करने और लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची (एल.एम.एम.एच.) में उचित शीर्ष उपलब्ध नहीं होने पर ही "800-अन्य व्यय" के तहत व्यय को पुस्तांकित करने के निर्देश जारी किए (अगस्त 2022)।

4.8 प्रमुख उचंत और डी.डी.आर. शीर्षों के तहत बकाया शेष

'उचंत' और 'प्रेषण' शीर्षों से सम्बन्धित लेनदेन का उद्देश्य सभी समायोजन शीर्षों को दर्ज करना है। कुछ मध्यस्थ/समायोजन लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है जिसे ऐसे प्राप्ति एवं भुगतान के लेनदेन को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में खोला जाता है, जिन्हें जानकारी के आभाव में लेखों के अन्तिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे कोषालयों/भुगतान और लेखा अधिकारी द्वारा निपटान की अनुसूची प्रस्तुत न करना, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी मेमो की अप्राप्ति, वाउचर की अप्राप्ति इत्यादि। इन लेखों के शीर्षों को अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा सम्बन्धित अन्तिम लेखा शीर्षों में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाता है । यदि इन राशियों को समायोजित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष राशि संचित हो जाती है और जिससे सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सही चित्रण बाधित होता हैं।

प्रेषण में सभी लेन-देन सम्मिलित होते हैं जो लेखा शीर्षों को समायोजित हो रहे हैं और इन शीर्षों के तहत डेबिट या क्रेडिट अन्ततः उसी या अन्य किसी लेखांकन चक्र में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समायोजित किये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत शेष की स्थिति नीचे **तालिका 4.16** में दी गई है:

तालिका 4.16: उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	मुख्य शीर्ष -8658 उचन्त						
		नामे	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
1.	101 – पीएओ उचन्त	103.83	9.79	103.92	9.23	94.74	8.81
	निवल	**नामे 94.04**		**नामे 94.69**		**नामे 85.93**	
2.	102 – उचन्त लेखे-सिविल	0.41	100.24	0.37	85.19	0.40	94.74
	निवल	**जमा 99.83**		**जमा 84.82**		**जमा 94.34**	
3.	106 – संचार लेखा कार्यालय उचन्त	-*	-	-*	-	-*	-
	निवल	**नामे***		**नामे***		**नामे***	
4.	112 – स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	-	26.62		(-)1.62		97.62

क्र.सं	लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	निवल	**जमा 26.62**		**जमा (-) 1.62**		**जमा 97.62**	
5.	123 – अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.19	-	0.21	-	0.25
	निवल	**जमा 0.19**		**जमा 0.21**		**जमा 0.25**	
6.	129 – सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.50		(-) 3.50		(-) 3.50
	निवल	**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**	
7.	139 –स्रोत पर जीएसटी कटौती उचन्त	-	54.18	-	57.17	-	66.44
	निवल	**जमा 54.18**		**जमा 57.17**		**जमा 66.44**	
	निवल योग	**(जमा) 83.28**		**(जमा) 42.39**		**(जमा) 169.22**	
	मुख्य शीर्ष 8782- रोकड़ प्रेषण						
8.	102 – लोक निर्माण (पी. डब्लू.) प्रेषण	26.46	28.82	25.40	26.76	25.57	18.48
	निवल	**जमा 2.36**		**जमा 1.36**		**नामे 7.09**	
9.	103 – वन प्रेषण	0.04	0.01	0.10	* -*	0.07	-
	निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.10**		**नामे 0.07**	
10.	108 – अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
	निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.03**		**नामे 0.03**	
11.	129 – इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत हस्तान्तरण	0.74	-	0.74	-	0.73	-
	निवल	**नामे 0.74**		**नामे 0.74**		**नामे 0.73**	
	निवल योग	**(जमा) 1.56**		**(जमा) 0.49**		**(नामे) 7.92**	

* केवल ₹ 1,000, ** केवल ₹ 14,000

पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आंकड़ों की स्थिति दर्शाती है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखों' के अन्तर्गत कुल निवल शेष में वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक ₹ 126.83 करोड़ की जमा शेष में वृद्धि दर्ज की गई है।

ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहां ऋणात्मक शेष नहीं होने चाहिए।

ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत 31 मार्च 2024, को 12 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राशि ₹ 3,880.11 करोड़ के प्रतिकूल शेष के 23 मामले[8] थे। प्रतिकूल शेष मुख्य रूप से नगर परिषदों/नगर

8. राज्य भविष्य निधि (एक प्रकरणः ₹ 0.01 करोड़); बीमा और पेंशन निधि (एक प्रकरणः ₹ 3,737.14 करोड़); सिविल जमा (एक प्रकरणः ₹ 129.98 करोड़); स्थानीय निधियों के लिए जमा (दो प्रकरणः ₹ 0.34 करोड़)और उचन्त लेखे (दो प्रकरणः ₹ 3.52 करोड़); शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 32); आवास हेतु ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 11,620); खाद्य संग्रह और भंडारण के लिए ऋण (एक प्रकरणः ₹ 0.03 करोड़); सहकारिता के लिए ऋण (एक प्रकरणः ₹ 6.16 करोड़); सड़क परिवहन के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 201); अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 32,070); सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण (10 प्रकरणः ₹ 2.92 करोड़);

पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 3,737.14 करोड़) के थे। इन डीडीआर शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों का मिलान और समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्तियों और व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,03,276.28 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) राजस्व व्यय राशि ₹ 2,42,230.88 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय राशि ₹ 26,645.72 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा अंकमिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 398.21 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 100 प्रतिशत) के ऋण और अग्रिम की राशि का भी अंकमिलान किया गया।

वास्तव में, राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों में व्यय और प्राप्तियों का शत-प्रतिशत अंकमिलान करने में सफल रही है।

4.10 नकद शेषों का मिलान

'रिजर्व बैंक के पास जमा' का शेष सरकारी लेखे के अनुसार शेष को प्रदर्शित करता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गए अन्तर सरकारी मौद्रिक समायोजन शामिल है । लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों [₹ 10.75 करोड़ (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए [₹ 12.28 करोड़ (जमा)] आँकड़ों के बीच ₹ 1.53 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। ₹ 0.04 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर अभी भी बकाया है और इसका अंक मिलान किया जा रहा है (जून 2024) ।

4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में जवाबदेही तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.ए.एस.बी.) की स्थापना की । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के

राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए। इन चार लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को निम्न **तालिका 4.17** दर्शाती है:

तालिका 4.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रं. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1	**आई.जी.ए.एस. : 1** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां- प्रकटीकरण की आवश्यकताएं*	यह मानक सरकार से अपेक्षा करता है कि वह अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति (वर्ग या क्षेत्र-वार) की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के प्रारंभ और अन्त में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया, अनुदानकर्ता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण करें ।	अनुपालना की गई।	---
2	**आई.जी.ए.एस. : 2** *सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण*	सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रुप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत करना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया गया, केवल वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त, राजस्व व्यय के रूप में सहायतार्थ अनुदान के वर्गीकरण की अनुपालना नहीं होने के सम्बन्ध में अनुच्छेद.3.4.7 चर्चा की गई है।	सरकार द्वारा नकद में दी गई सहायतार्थ अनुदान का खुलासा किया गया जबकि वस्तु के रूप में दी गई सहायतार्थ अनुदान का खुलासा नहीं किया गया इसलिए अनुदानदाता द्वारा दी गई कुल सहायतार्थ अनुदान का पता नहीं लगाया जा सका है ।
3	**आई.जी.ए.एस. : 3** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मात्रा और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से सम्बन्धित अपने वित्तीय विवरणों में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया । अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहाँ विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है।
4	**आई.जी.ए.एस. : 4** *पूर्व अवधि समायोजन*	इस मानक का उद्देश्य वह तरीका निर्धारित करना है जिसमें त्रुटियों सहित पूर्व अवधि समायोजन को एक बार पहचान लेने के बाद, लेखांकन के नकद आधार के तहत् वर्तमान अवधि (वित्तीय वर्ष) में प्रस्तुत एवं प्रकट किया जावेगा।	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई पूर्व अवधि समायोजन नहीं किया गया था।	

4.12 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 के अनुसार, किसी भी कोषालय या अन्य कार्यालय या अन्य विभाग में गबन, धोखाधड़ी से निकासी/भुगतान, हानि आदि के कारण या अन्य किसी कारण से हुई सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियों, टिकटों, भंडार या सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखी गई अन्य सम्पत्ति की हानि ज्ञात होने पर संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना तुरन्त अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को देनी होगी।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक, विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन/गबन (314) और चोरी/हानि (434) के राशि ₹ 131.06 करोड़ के 748 प्रकरण सूचित किये, जिन पर अंतिम कार्यवाही जून 2024 के अंत तक लंबित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.18** में दिया गया है।

तालिका 4.18: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण					
			विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के कारण वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
निर्माण[9]	235	9.61	56	4.54	160	2.60	19	2.46
शिक्षा[10]	135	55.30	44	6.06	50	8.14	41	41.12
राजस्व[11]	60	13.39	38	4.53	9	3.29	13	5.56
चिकित्सा[12]	57	8.28	34	5.64	5	0.93	18	1.71
स्वायत्त शासन	11	3.91	3	0.06	3	3.47	5	0.37
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	145	27.41	124	24.52	19	2.39	2	0.50
अन्य[13]	105	13.16	34	1.59	44	9.33	27	2.25
योग	**748**	**131.06**	**333**	**46.94**	**290**	**30.15**	**125**	**53.97**

9. **निर्माण विभाग:** पी.एच.ई.डी., पी.डब्लू.डी., सिंचाई, भूजल विभाग (जी.डब्लू.डी.), आई.जी.एन.पी. और वन ।
10. **शिक्षा विभाग:** प्राथमिक, माध्यमिक, साक्षरता और सतत शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा), कॉलेज, संस्कृत शिक्षा, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डाईट, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और आई.टी.आई.।
11. **राजस्व विभाग:** भूमि, परिवहन, स्थान, मुद्रांक और पंजीयन, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क और उपनिवेशन।
12. **चिकित्सा विभाग:** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल कॉलेज, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, आईईसी, एनआरएचएम और आरएमसीएल।
13. **विविध विभाग:** न्याय, पुलिस, देवस्थान, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, मुद्रण और स्टेशनरी, आरपीएससी, सैनिक कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण, आर.सी.डी.एफ., विश्राम भवन, एस.आई.पी.एफ., अल्पसंख्यक, अकाल राहत (राहत), महिला एवं बाल कल्याण, पुरातत्व, संग्रहालय, सचिवालय, अभियोजन, बागवानी, वाटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण, राज्य लॉटरी, पर्यावरण, स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, आर.एस.एस.सी.एल., कोषालय (कोष) सूचना और जन सम्पर्क, टी.ए.डी. और पशुपालन (पशु चिकित्सा), पेंशन, चुनाव आयोग, एल.एफ.ए.डी. एवं कृषि।

लंबित मामलों की आयुवार रुपरेखा और चोरी/हानि तथा गबन/दुरुपयोग की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या को नीचे दी गई **तालिका 4.19** में सारांशिकृत किया गया है:

तालिका 4.19: दुर्विनियोजन, हानि, गबन इत्यादि के प्रकरणों की रुपरेखा

(₹ करोड़ में)

प्रकरणों की अवधि-वार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
0-5 (2019-20 से 2023-24)	129	56.90	चोरी/हानि	76	2.36
			गबन	53	54.54
5-10 (2014-15 से 2018-19)	166	35.30	चोरी/हानि	116	13.27
			गबन	50	22.03
10 से उपर (2013-14 तक)	453	38.86	चोरी/हानि	242	5.60
			गबन	211	33.26
कुल	**748**	**131.06**	**चोरी/हानि**	**434**	**21.22**
			गबन	**314**	**109.84**

748 मामलों में से, गबन के 03 मामले 1974-75 से तथा चोरी का 01 मामला 1986-87 से लंबित है। इतने लंबे समय तक मामला लंबित रहने से पता चलता है कि संबंधित विभागों ने समय पर वांछित कार्यवाही नहीं की है।

लंबित मामलों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 4.8*** में दिया गया है। लम्बित गबन के मामलों का विस्तृत विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि गबन के ये मामले मुख्य रूप से रोकड़ पुस्तिका/चालान में जालसाजी, स्टोर में रखे स्टॉक में गड़बड़ी, जाली बिल/चेक द्वारा भुगतान/निकासी, सरकारी धन को बैंक/कोषागार में जमा नहीं करने, एकत्रित कर को सरकारी खजाने/बैंक में जमा नहीं किया जाना, सरकारी धन जमा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चालान में गलत राशि दिखाकर जालसाजी, रोकड़ पुस्तिका में प्रारंभिक शेष कम दिखाया जाना, रोकड़ पुस्तिका में अधिक निकासी/भुगतान दिखाया जाना आदि से सम्बंधित है । चोरी के मामले मुख्यतः स्टॉक/स्टोर/वाहनों, वाहनों के हिस्सों, नकदी, मशीनरी और उपकरण आदि की चोरी से सम्बंधित थे । 748 मामलों में से, ₹ 30.15 करोड़ की राशि के 290 मामले लंबित थे क्योंकि वसूली/बट्टे खाते में डालने के आदेश लंबित थे और शेष मामले विभागीय कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही के अभाव में लंबित थे।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

राज्य के 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[14] के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गयी है। जून 2024 तक, वर्ष

14. राजस्थान स्वादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग; राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.), जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक आयोग; राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा); राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा); राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (02) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (36)।

2018-19 से 2022-23 तक कैम्पा, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्ल्यू) और वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, जयपुर (रेरा) के लेखों को छोड़कर सभी 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2022-23 तक के लेखे प्राप्त हो चुके हैं।

लेखापरीक्षा का काम सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने और विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्थिति ***परिशिष्ट 4.9*** में दर्शाई गई है। यद्यपि, वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा के दौरान कोई प्रतिकूल राय नहीं दी गई।

इसके अतिरिक्त, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वह उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गई है और संस्थानों का कुल व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।

मार्च 2024 तक, राज्य की समेकित निधि से अनुदान या ऋण के माध्यम से वित्तपोषित 44 स्वायत्त निकाय थे । सभी 44 स्वायत्त निकाय सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा के लिए पात्र है। इसके अलावा, 44 स्वायत्त निकायों में से 17 के 30 वार्षिक लेखे जो सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 14 के अनुसार 2023-24 में देय थे, 31 मई 2024 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए।

17 स्वायत्त निकाय ने लेखे प्रस्तुत नही किये हैं, उनका विवरण ***परिशिष्ट 4.10*** में दर्शाया गया है तथा आयु-वार बकाया नीचे **तालिका 4.20** में दर्शायी गई है:

तालिका 4.20: सरकारी निकायों से देय वार्षिक लेखों का आयु-वार बकाया।

क्र.सं.	बकाया (वर्षों में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या (लेखों की संख्या)
1	एक वर्ष से कम	8(8)
2	2-3 वर्ष	8(18)
3	4 वर्ष से ऊपर	1(4)

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) द्वारा संकलित सूचना

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एक स्वायत्त निकाय के चार लेखे चार वर्ष से अधिक लम्बित थे। वार्षिक लेखों के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को वितरित अनुदानों एवं ऋणों का लेखांकन/उपयोग लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखे प्रस्तुत नहीं करने से निधियों के दुरूपयोग का जोखिम बढ़ जाता है। वित्त विभाग को ऐसे हस्तांतरण पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।

4.14 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2022-23 का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2024 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जनलेखा समिति (जलेस) ने वर्ष 2018-19 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा और सिफारिशें की (अगस्त 2024)। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान जलेस ने वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदन के एक अनुच्छेद पर चर्चा की। वर्तमान में, वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के प्रतिवेदन से संबंधित 22 अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन हेतु लंबित हैं। ये अनुच्छेद बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके वास्तविक वित्तपोषण, चयनित अनुदानों की समीक्षा, स्थानीय निधियों की जमाओं, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/लेखों को प्रस्तुत करने, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि, उपकर/अधिभार के संग्रहण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब, निजी निक्षेप खाते आदि से संबंधित हैं।

अनुच्छेदों पर बकाया कार्यवाही नोट (ए.टी.एन.) की समीक्षा से पता चला कि एस.एफ.ए.आर. वर्ष 2021-22 से संबंधित पैरा पर छह ए.टी.एन. चार विभागों[15] से लंबित हैं और एस.एफ.ए.आर. वर्ष 2020-21 से संबंधित पैरा पर एक ए.टी.एन. एक विभाग[16] से 31 अगस्त 2024 तक लंबित है।

4.15 छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-आई राज्य सरकार के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांच साल की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य बनाता है । राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) का कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और धन के हस्तांतरण के लिए राज्यपाल को सिफारिशें करना है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243-वाई में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में प्रावधान है कि एस.एफ.सी. राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, कर्तव्यों, टोल और शुल्क की निवल आय के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करेगा, जिन्हें राज्य और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के बीच विभाजित किया जा सकता है।

छठवें एस.एफ.सी. द्वारा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन जून 2021 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सिफारिशों को सरकार द्वारा सितंबर 2021 में स्वीकार कर लिया गया था।

15. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गोपालन विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग।
16. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग।

इसके अलावा, आयोग द्वारा छठवें एस.एफ.सी. की अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में 68 सिफारिशें और सुझाव दिए गये थे। इनमें से, 22 सिफारिशें स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण से संबंधित थी। ए.टी.एन. के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 20 सिफारिशें स्वीकार की गई और राज्यपाल को सौंपी गई। निधियों के हस्तांतरण के अलावा अन्य सुझावों के संबंध में, एस.एफ.सी. की अंतिम रिपोर्ट जांच और आगे की कार्यवाही या निर्णय के लिए प्रशासनिक विभागों को हस्तांतरित की जाएगी।

छठें एस.एफ.सी. की अंतिम रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 तक पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को राज्य के स्वयं के कर राजस्व की निवल आय का 6.75 प्रतिशत और उसके बाद वर्ष 2024-25 के लिए 7.00 प्रतिशत और उनके बीच क्रमशः 75.1:24.9 का अनुपात राशि के वितरण की सिफारिश की गई।

छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को वास्तविक रूप से जारी की गई निधियों को नीचे **तालिका 4.21** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.21: वर्ष 2020-24 के दौरान पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

स्थानीय निकाय	वर्ष 2020-25 के लिये छठवे एस.एफ.सी. की अन्तिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसा	वर्ष 2020-24 अवधि के लिये अनुशंसा	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-24 में जारी
पीआरआई	24,914.51	13,781.85	13,781.85
यूएलबी	8,260.61	5,974.59	4,269.42
कुल	**33,175.12**	**19,756.44**	**18,051.27**

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के स्व-कर राजस्व की वास्तविक निवल आय नीचे **तालिका 4.22** में दी गई है:

तालिका 4.22: राज्य के स्व-कर की वास्तविक निवल आय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	स्व-कर राजस्व	94,085.94
2.	घटायेः संग्रहण की लागत	2,547.19
	निवल स्व-कर राजस्व	**91,538.75**

राज्य के निवल स्व-कर राजस्व की स्थिति, हस्तांतरित किए जाने वाले अनुदान की राशि और छठवें एस.एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को वास्तव में हस्तांतरित अनुदान नीचे **तालिका 4.23** में दिए गए हैं:

तालिका 4.23: छठवें एस.एफ.सी. के अनुसार स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली अनुदान राशि और वास्तव में हस्तांतरित अनुदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	छठें एस.एफ.सी .द्वारा हस्तांतरित किये जाने वाला अनुमानित अनुदान	छठें एस.एफ.सी. की अनुशंसा के अनुसार वास्तविक निवल आय के आधार पर हस्तांतरित किये जाने वाला अनुदान	वास्तविक हस्तांतरित अनुदान	अधिक (+)/ कम (-) हस्तांतरण
		वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान)	वर्ष 2023-24 (वास्तविक)	वर्ष 2023-24	वर्ष 2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 4-5)
1.	**पी.आर.आई. का हिस्सा (निधियों के कुल हस्तांतरण का 75.1%)**	**5,641.65**	**4,640.34**	**2,455.38**	**(-)2,184.96**
	(अ) जिला परिषद (5%)	282.07	232.02	139.09	(-)92.93
	(ब) पंचायत समितियाँ (20%)	1,128.27	928.07	222.66	(-)705.41
	(स) ग्राम पंचायतें (75%)	4,231.01	3,480.25	2,093.63	(-)1,386.62
2.	**यू.एल.बी. का हिस्सा (निधियों के कुल हस्तांतरण का 24.9%)**	**1,870.44**	**1,538.54**	**930.23**	**(-) 608.31**
	(i) नगर निगम (28.47%)	532.51	438.02	250.45	(-) 187.57
	(ii)नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें (71.53%)	1,337.93	1,100.52	679.78	(-) 420.74
3.	**निवल स्व-कर राजस्व के 6.75% की दर से निधियों का कुल हस्तांतरण**	**7,511.79**	**6,178.88**	**3,385.61**	**(-) 2,793.27**

स्रोत: राज्य सरकार के बजट एवं राज्य के लेखें

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वास्तविक निवल आय और बजट अनुमान की तुलना में छठवें एस.एफ.सी. की सिफारिशों के समक्ष स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹ 2,793.27 करोड़ और ₹ 4,126.18 करोड़ कम हस्तांतरित किये गए।

जिला परिषदों और नगर निकायों से राज्य वित्त अनुदान का उपयोग की जानकारी मांगी गयी थी, लेकिन उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। यद्यपि, वित्त विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि स्थानीय निकायों द्वारा राज्य वित्त अनुदान के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश जारी किये गये है।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष को एस.एफ.सी. निधि के अनुश्रवण एवं समय पर उपयोग के लिए स्थापित संरचित व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

4.16 निष्कर्ष

निर्दिष्ट अवधि के भीतर ₹ 1,122.12 करोड़ की राशि के 996 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करना कमजोर वित्तीय जवाबदेही तंत्र का संकेत है। 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लेखों की पारदर्शिता और जीआईए के उपयोग के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पर्याप्त अवधि बीत जाने के उपरांत भी ए.सी. बिलों का समायोजन न होना विभागों के साथ-साथ कोषालयों की ओर से अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद निजी निक्षेप खातों को बंद न करना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था और कोषालय के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में वृहत्त मात्रा में पड़े हुए शेष उपयोग के लिए लंबित हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनका विवरण न तो पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किया गया था और न ही कोषालय खातों को उपलब्ध कराया गया था।

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत बड़ी धनराशियों का लेखांकन, लेखों की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

4.17 सिफारिशें

- विभागों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को शीघ्र बंद करना और निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निधि के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने और बंद योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने और ग्राम पंचायत के बैंक खातों में रखी गई शेष राशि का अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

- वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को जहाँ तक संभव हो उचित लेखा शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है।

- दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।

(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
राजस्थान

जयपुर,
13 मई, 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के.संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
15 मई, 2025